छत्तीसगढ़ शासन (1)
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

--00--

क्रमांकः एफ 6–48/2015/20–3 नया रायपुर, दिनांक 13.04.2018

//आदेश//

राज्य शासन एतद् द्वारा प्रदेश के शिक्षा महाविद्यालयों में संचालित बी.ए. बी.एड. व बी.एस.सी. बी.एड. समेकित 4 वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है :–

1. बी.ए. बी.एड./बी.एस.सी. बी.एड. समेकित 4 वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश –

(क) **प्री. बी.ए.बी.एड./बी.एस.सी.बी.एड.** – सामान्यतया इस पाठ्यक्रम में प्रवेश प्री.बी.ए.बी. एड. /बी.एस.सी.बी.एड. परीक्षा की प्रावीण्य सूची के आधार पर किए गए ऑनलाइन आबंटन के माध्यम से ही दिया जायेगा।

(ख) **मूल निवासी** – राज्य के शासकीय तथा अशासकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों में इस पाठ्यक्रम की समस्त सीटों पर तथा निजी गैर अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों में 80 प्रतिशत सीटों पर केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को ही प्रवेश दिया जाएगा। निजी गैर अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों की 20 प्रतिशत सीटों पर छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को भी प्रवेश दिया जा सकेगा। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी की परिभाषा छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप होगी।

(ग) **आयु सीमा** – किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा जिसने प्री. बी.ए.बी.एड./बी.एस.सी.बी.एड. परीक्षा के वर्ष की 1 जुलाई को अधिकतम आयु 33 वर्ष से अधिक हो गई। छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग(क्रिमीलेयर को छोड़कर) एवं संवर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु में छूट छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप होगी।

(घ) बी.ए.बी.एड./बी.एस.सी.बी.एड. में प्रवेश के लिए सामान्यतः तीन चरण आबंटन कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा।

इसके बाद भी यदि सीटें रिक्त रहती है तो आवश्यकतानुसार चौथा एवं पांचवा चरण का आबंटन कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा परन्तु 30 सितम्बर के बाद कोई प्रवेश प्रक्रिया आयोजित नहीं किया जायेगा।

नोट – (i) **"अनुदान प्राप्त महाविद्यालय"** से तात्पर्य है, ऐसा महाविद्यालय जिसने कभी भी राज्य शासन के किसी भी प्रकार का अनुदान, अथवा चल–अचल संपत्ति की कोई सहायता प्राप्त की हो, और "गैर अनुदान प्राप्त महाविद्यालय" का तात्पर्य भी इसी अनुसार निकाला जाएगा।

(ii) गैर अनुदान प्राप्त अल्पसंख्यक महाविद्यालय से अभिप्रेत है कि ऐसे महाविद्यालय जो राज्य के सक्षम प्राधिकारी/राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग द्वारा प्रमाणित हो तथा महाविद्यालय के न्यूनतम 50 प्रतिशत सीट धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित करते हों।

निरंतर...2...

Scanned by CamScanner

2. प्री.बी.एस.सी.बी.एड./बी.ए.बी.एड. परीक्षा में सम्मिलित होने की अर्हताएं –

बी.ए. बी.एड./बी.एस.सी.बी.एड. समेकित 4 वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए निम्नलिखित अर्हताएँ होंगी –

(क) भारत का नागरिक हो।

(ख) शैक्षणिक अर्हता –

पाठ्यक्रम	बी.ए. बी.एड.	बी.एस.सी. बी.एड.
शैक्षणिक योग्यता/पात्रता	उच्चतर माध्यमिक/+2 या इसके समकक्ष परीक्षा में किसी भी संकाय में कम से कम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित अंक के साथ उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए पात्र होवें।	उच्चतर माध्यमिक/+2 या इसके समकक्ष परीक्षा में गणित/विज्ञान संकाय में कम से कम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित अंक के साथ उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए पात्र होवें।

नोट : छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) एवं राज्य सरकार के नियमों के अनुसार संवर्ग के अभ्यर्थियों के लिए NCTE द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक में 5 प्रतिशत छूट की व्यवस्था होगी। वर्तमान में NCTE द्वारा न्यूनतम मापदंड 50 प्रतिशत निर्धारित है।

3. बी.ए.बी.एड./बी.एस.सी.बी.एड. पाठ्यक्रम में सीटों का आरक्षण –

बी.ए.बी.एड./बी.एस.सी.बी.एड. पाठ्यक्रम में उपलब्ध सीटों में वर्टिकल तथा क्षैतिज दोनों प्रकार का आरक्षण होगा। वर्टिकल आरक्षण के लिए श्रेणियाँ होगीं, तथा क्षैतिज आरक्षण के लिए संवर्ग होंगे।

(क) वर्टिकल आरक्षण अथवा श्रेणी–वर्टिकल आरक्षण निम्नानुसार होगा –
(एक) अनुसूचित जाति के लिए 12 प्रतिशत।
(दो) अनुसूचित जनजाति के लिए 32 प्रतिशत।
(तीन) अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के लिए 14 प्रतिशत।
स्पष्टीकरण– अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणियों में आरक्षण का लाभ पाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इन श्रेणियों के जाति प्रमाण के संबंध में समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(ख) क्षैतिज आरक्षण अथवा संवर्ग का तात्पर्य है कि यह आरक्षण सभी श्रेणियों की सीटों पर समान रूप से होगा। क्षैतिज आरक्षण निम्नानुसार होगा –
(एक) निःशक्त संवर्ग के लिए 6 प्रतिशत। इस संवर्ग में आरक्षण का लाभ पाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप निःशक्त होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
(दो) स्वतंत्रता संग्राम सैनिक संवर्ग श्रेणी के लिए 3 प्रतिशत । इस संवर्ग में आरक्षण का लाभ पाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप स्वतंत्रता संग्राम सैनिक अथवा उनका पुत्र/पुत्री/पौत्र/ पौत्री/नाती/नतनीन होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
(तीन) भूतपूर्व सैनिक संवर्ग के लिए 3 प्रतिशत । इस संवर्ग में आरक्षण का लाभ पाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

निरंतर...3...

Scanned by CamScanner

(ग) उपरोक्त "वर्टीकल आरक्षण नियम गैर अनुदान प्राप्त अल्पसंख्यक महाविद्यालयों" एवं 'गैर अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों' में लागू होगें।"

(घ) छत्तीसगढ़ के महिला संवर्ग के अभ्यर्थियों के लिए सभी श्रेणियों व संवर्ग में 30% सीट्स आरक्षित होंगे।

नोट – (i) **"श्रेणी"** से तात्पर्य है, अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर)।
(ii) **"संवर्ग"** से तात्पर्य है, महिला, निःशक्त, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा भूतपूर्व सैनिक।

4. प्री. बी.ए.बी.एड./बी.एस.सी.बी.एड. परीक्षा –

(क) प्रतिवर्ष बी.ए.बी.एड./बी.एस.सी.बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए प्री. बी.ए.बी.एड./बी.एस.सी.बी.एड. परीक्षा आयोजित की जाएगी।

(ख) राज्य शासन आदेश द्वारा प्री बी.ए.बी.एड./बी.एस.सी.बी.एड. परीक्षा आयोजित करने की एजेंसी नियुक्त करेगा। राज्य शासन किसी भी समय इस हेतु किए गए आदेश द्वारा एजेंसी बदल सकेगा।

(ग) प्री बी.ए.बी.एड./बी.एस.सी.बी.एड. परीक्षा में एक ही प्रश्न प्रत्र होगा। अंकों का विभाजन निम्नानुसार होगा :–

1. सामान्य मानसिक योग्यता – 30 प्रतिशत।
2. सामान्य ज्ञान – 20 प्रतिशत।
3. सामान्य अभिरूचि – 20 प्रतिशत।
4. भाषा दक्षता :– हिन्दी – 15 प्रतिशत।
   अंग्रेजी – 15 प्रतिशत।

(घ) केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जायेंगे।

(ड.) निगेटिव मार्किंग नहीं होगी।

(च) प्री. प्री.बी.ए.बी.एड./बी.एस.सी.बी.एड. परीक्षा में पुर्नमूल्यांकन तथा अंकों की पुनर्गणना नहीं की जाएगी।

5. प्रावीण्य सूची –

प्री बी.ए.बी.एड./बी.एस.सी.बी.एड. परीक्षा के प्राप्ताकों के आधार पर परीक्षा लेने वाली एजेंसी द्वारा अनुसूचित जाति श्रेणी, अनुसूचित जनजाति श्रेणी, अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी तथा अनारक्षित श्रेणी की पृथक–पृथक प्रावीण्य सूचियाँ तैयार की जायेंगी। अनारक्षित श्रेणी की प्रावीण्य सूची में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) तथा सामान्य सभी जातियों को शामिल किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों तथा अन्य अभ्यर्थियों के लिए एक ही प्रावीण्य सूची बनाई जायेंगी। प्रावीण्य सूची में अभ्यर्थी का वर्ग भी अंकित किया जायेगा। समान प्राप्तांक होने पर अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को प्रावीण्यता क्रम में उपर रखा जाएगा।

निरंतर...4....

Scanned by CamScanner

6. **ऑनलाइन आबंटन–**

(क) प्रावीण्य सूची की घोषणा के पश्चात् संस्थाओं में प्रवेश ऑनलाइन आबंटन विधि से किया जावेगा।

(ख) पात्र अभ्यर्थी 350/– रूपये का भुगतान परिषद के अकाउंट में ऑनलाइन जमा करके ऑनलाइन विकल्प फार्म आबंटन प्रक्रिया के लिये निर्धारित वेबसाइट में जाकर भर सकते है।

(ग) ऑनलाइन फार्म भरने की सूचना राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के वेबसाइट तथा राज्य के तीन प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित किये जायेंगे।

(घ) अभ्यर्थी केवल उन्हीं महाविद्यालयों का विकल्प चुने जहां वे प्रवेश लेना चाहते हैं।

(ड.) अभ्यर्थियों को महाविद्यालय का आबंटन उसके द्वारा दिये गये ऑनलाइन विकल्प (संस्था को दी गई प्राथमिकता) प्री बी.ए.बी.एड./बी.एस.सी.बी.एड. परीक्षा में उसका प्रावीण्यता क्रम तथा सीटों की उपलब्धता के आधार पर संचालक द्वारा किया जायेगा।

(च) सीट आबंटन की सूची राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के वेबसाइट पर तथा जिस वेबसाइट में जाकर अभ्यर्थी ने विकल्प फार्म भरा है उसी वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। सीट्स आबंटन की सूचना डाक द्वारा अभ्यर्थी को नहीं दी जायेगी।

(छ) ऑनलाइन आबंटन के पश्चात् निर्धारित समय अवधि में अभ्यर्थी या तो आबंटित संस्था में जाकर प्रवेश ले अथवा अपना आबंटन निर्धारित कालावधि समाप्त होने के पहले निरस्त करके नया विकल्प फार्म निर्धारित वेबसाइट में जाकर ऑनलाइन भर कर सकते हैं। इसके लिए निर्धारित राशि पुनः जमा करनी होगी अन्यथा ऐसा नहीं करने पर अभ्यर्थी का महाविद्यालय आबंटन निर्धारित समयावधि के पश्चात् स्वयमेव निरस्त हो जायेगा तथा उस अभ्यर्थी को आगे की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। पुनः विकल्प फार्म भरने वाले अभ्यर्थी को रिक्त सीटों के लिए महाविद्यालय आंबटन अगली सूची जारी करते समय किया जावेगा।पुनः विकल्प फार्म भरने का यह अवसर केवल एक बार के लिए होगा।

(ज) महाविद्यालय द्वारा अभ्यर्थी के मूल दस्तावेजों को जाँचकर प्रवेश दिया जायेगा। अगर मूल दस्तावेजों में कोई कमी या त्रुटि पाई जाती है तो उसका चयन निरस्त कर दिया जायेगा। ऑनलाइन आबंटन के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में संचालक का निर्णय अंतिम होगा।

7. **आरक्षित संवर्ग के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में प्रवेश –**

आरक्षित संवर्ग के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में इन संवर्गों के लिए आरक्षित सीटों को उसी श्रेणी की अनारक्षित सीटों में परिवर्तित कर दिया जाएगा।

8. **आरक्षित श्रेणी के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में प्रवेश –**

किसी भी आरक्षित श्रेणी में पर्याप्त अभ्यर्थी न होने की दशा में प्रवेश निम्नानुसार दिया जाएगा–

(क) अनुसूचित जाति श्रेणी के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में इस श्रेणी के लिए आरक्षित सीटें अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी।

(ख) अनुसूचित जनजाति श्रेणी के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में इस श्रेणी के लिए आरक्षित सीटें अनुसूचित जाति श्रेणी के अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी।

(ग) अनुसूचित जाति श्रेणी अनुसूचित जनजाति श्रेणी दोनो के ही पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में इन श्रेणियों के लिए आरक्षित सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी के अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी।

निरंतर...5...

Scanned by CamScanner

(घ) अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में इस श्रेणी के लिए आरक्षित सीटें पहले अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों से और बाद में भी सीटें रिक्त रहने पर अनुसूचित जाति श्रेणी के अभ्यार्थियों से भरी जाएंगी।

(ड.) सभी अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में ही आरक्षित सीटें अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों से भरी जायेंगी।

9. छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या उपलब्ध न होने की दशा में प्रवेश –

इन नियमों में जो सीटें छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों से ही भरी जाना अनिवार्य हैं, उन सीटों के लिए पर्याप्त संख्या में छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में यह सीटें भी अन्य अभ्यर्थियों से भरी जा सकेंगी।

10. प्रवेश का निरस्तीकरण –

यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी के महाविद्यालय में प्रवेश पाने के पीछे किसी झूठी या गलत सूचना का आधार था अथवा उसने कोई प्रारंभिक तथ्य छुपाया था, अथवा प्रवेश के बाद की अवधि में यह पता चलता है कि उसे किसी त्रुटि अथवा चूक के कारण प्रवेश मिल गया था तो ऐसी अभ्यर्थी को दिया गया प्रवेश उसके अध्ययन की अवधि में बिना किसी पूर्वसूचना के संस्था प्रमुख द्वारा निरस्त किया जा सकेगा। प्रवेश को लेकर किसी भी विवाद अथवा संदेह की स्थिति में राज्य शासन का निर्णय अंतिम होगा।

11. महाविद्यालय की फीस –

बी.ए.बी.एड./बी.एस.सी.बी.एड. समेकित 4 वर्षीय पाठ्यक्रम का प्रवेश शुल्क, प्रवेश शुल्क विनियामक समिति द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

12. नियमों की व्याख्या –

प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों के चयन के संबंधित सभी नीतिगत प्रश्नों का निर्णय करने के लिए राज्य शासन अंतिम रूप से प्राधिकारी होगा। यदि प्रवेश के इन नियमों की व्याख्या से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो राज्य शासन का निर्णय अंतिम तथा बंधनकारी होगा।

(प्रदीप भटनागर)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
नया रायपुर, दिनांक 13.04.2008

पृ क्रमांकः एफ 6–48/2015/20–3

प्रतिलिपि –

1. सचिव, छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
2. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. कुल सचिव, दुर्ग विश्वविद्यालय दुर्ग को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
4. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, रायपुर।

संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

Scanned by CamScanner